

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज

29/7/26

पत्रावली पत्रा हरी वकील प्रार्थी उपस्थित। निपटरीगण की
 अंतर से वकील एवं निपटरीगण वातजूर रूपना उपस्थित के
 उपस्थित-में आठ बार-बार आवाजों लगवर्त गई जोरि उपस्थित
 नसे होने लगे इनके निरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश
 दिया जाता है। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय बहस को सुना
 गया। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया गया कि
 प्रार्थी पत्र के परणक्ष 21 नंबरित आदेशगण प्रार्थी एवं
 निपटरीगण की संयुक्त स्वातंदेशी की है। जिसमें प्रार्थी का
 1/6 एक छिन्ना है निपटरीगण उत्तरन प्रार्थी को एक छिन्ना
 की भूमि में प्रवेश कर कब्जा कर आदेशगण के स्वरूप
 में परिवर्तन करने पर आमादा है इसलिए निपटरीगण को
 अस्थायी निवेधासा के स्वगन आदेश से पाबंद किया
 जावे। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय बहस सुनने के
 पश्चात् पत्रावली का भवकामिन किया गया। अवलोकन
 पश्चात् प्रार्थी का प्रार्थी पत्र अनूठी धारा 212
 आदेश ए. वकीलर किया जाने का आदेश दिया
 जाता है साथ ही निपटरीगण को पारिषे अस्थायी
 निवेधासा के स्वगनसे पाबंद किया जाता है छि
 मौजा बडवाडी पटवार मण्डल बडवाडी के लवा
 क्षेत्र 79 में वणीत आराजी नम्बर 714 रकबा 0.2161 है
 व आराजी नम्बर 1286/712 रकबा 0.4106 है
 भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/6 एक छिन्ना भूमि
 है। जिसमें निपटरीगण उत्तरन प्रवेश कर जोरि निपटरीगण
 कार्य नहीं करे। प्रार्थी के आपोग उपभोग में कोई प्रवल
 बाधा पैदा नहीं करे। मूल वाद के निरन्धारण होने
 तक मौके की भवारिस्थिति बनाये रहने। निपटरीगण
 निरबापा जाकर सुनाया गया। पत्रावली केरतल
 शुमार दौकर नम्बर से अम हो

29/7/26
 जज अधिकारी
 इंगला

